

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

क्रमांक : जीवि/परीक्षा-2/2017/1310

दिनांक 31/10/2017

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय द्वारा आगामी विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं हेतु परीक्षा आवेदन पत्र भरते समय परीक्षा संचालन शुल्क एवं अग्रेषण शुल्क के महाविद्यालयीन भाग की राशि पूर्व वर्षों की भांति परीक्षार्थियों द्वारा महाविद्यालय में ही जमा किए जाने का निर्णय लिया गया है।


ऐसे महाविद्यालय जिनका परीक्षा केन्द्र विश्वविद्यालय द्वारा किसी अन्य महाविद्यालय को बनाया जाता है तो संबंधित महाविद्यालय को परीक्षा संचालन शुल्क की राशि परीक्षा प्रारम्भ होने के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर जमा कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा संबंधित महाविद्यालय के छात्रों की परीक्षाएं परीक्षा केन्द्र पर सम्पादित नहीं करायी जावेगी।

जिससे परीक्षा संचालन एवं वरिष्ठ केन्द्राध्यक्ष को परीक्षाएं सम्पादित कराने में आने वाली कठिनाईयों को समाप्त किया जा सके।


कुलसचिव

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् संपादक महोदय, दैनिक की ओर इस निवदेन के साथ कि वे अपने लोकप्रिय समाचार में उक्त अधिसूचना को समाचारवृत्त के रूप में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
2. समन्वयक, संबंधित अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
3. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
4. उप/सहायक कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय), जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. कुलपति के सचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. कुलसचिव के गोपनीय/निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
7. वित्त नियंत्रक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
8. इंचार्ज, पूछताछ कक्ष/सूचना पटल, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
9. इंटरनेट इंचार्ज, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।


उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय)